संख्या:1/2015/686/7/3/35-भू0उ0प0/96-29

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूमि उपयोग परिषद (नियोजन विभाग) लखनउ:दिनांक:30 मार्च, 2015
पाचवां तल, योजना भवन

विषय: जिला भूमि उपयोग समिति को भूमि संसाधनों के संरक्षण, प्रबन्ध एवं विकास हेतु संचेतना तथा जागरूकता विकसित करनें हेतु दी जाने वाली प्रतिवर्ष रू0 25,000/- की सहायता को वित्तीय वर्ष 2015-16 से समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूमि उपयोग परिषद के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:2084/7/3/35-भू0उ0प0/ 96-29, दिनांक:30 अक्टूबर, 1996 द्वारा जिला भूमि उपयोग समिति गठित किये जानें के निर्देश दिये गये थे। ये समिति जनपदस्तर पर जो कार्य सम्पादित करेंगी, उसके सम्बन्ध में एकरूपता लानें के उद्देश्य से भूमि उपयोग परिषद के शासनादेश संख्या:570/7/3/35-भू0उ0प0/96-29, दिनांक:14 मार्च, 1997 द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये। जिला भूमि उपयोग समिति को निर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु रू0 25,000/- प्रति जनपद प्रति वर्ष की सहायता वित्तीय वर्ष 1997-98 से उपलब्ध करायी जाती रही है।

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिला भूमि उपयोग समिति को उपलब्ध करायी जानें वाली रू0 25000/- प्रति जनपद प्रति वर्ष की सहायता को वित्तीय वर्ष 2015-16 से समाप्त कर दिया जाये। जिला भूमि उपयोग समितियां भूमि उपयोग विन्यास का उन्नयन तथा भूमि अर्जन के प्रति सम्यक् दृष्टिकोण एवं कार्यवाही के अन्तर्गत आच्छादित समस्त कार्य पूर्व की भांति करती रहेंगी क्योंकि भूमि राजस्व एवं भूमि अर्जन का कार्य जिला स्तर पर ही किया जाता है।

3- इस सम्बन्ध में 'भूमि अर्जन की वर्तमान प्रक्रिया का सरलीकरण' विषयक शासनादेश संख्या:14/4/28/35-भू0उ0प0/90-99, दिनांक:03 जनवरी, 2007 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप भूमि अर्जन के परिप्रेक्ष्य में, मासिक सूचना/आख्या नियमित रूप से भूमि उपयोग परिषद, नियोजन विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

कृपया तद्नुसार ही अपनें अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या:1/2015/686(1)/7/3/35-भू0उ0प0/96-29, तद् दिनांक:

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- भूमि उपयोग परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण।
3- भूमि उपयोग परिषद के सदस्य सचिव।
4- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त सदस्य सचिव/संयोजक, जिला भूमि उपयोग समिति।
8- समस्त सदस्य, जिला भूमि उपयोग समिति।
9- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2
12-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
13-गार्ड फाइल हेतु

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in